



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174827

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29155 वर्ष 2026

हरिभान उर्फ कलुआ

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

औशिम लुथरा, सैयद इमरान इब्राहिम

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद इमरान इब्राहिम तथा राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. उपस्थित हैं, को सुना गया।
- 1ए. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता पूरक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/आवेदक-हरिभान उर्फ कलुआ द्वारा उसे विचारण की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-218 सन् 2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 118(1), 109(1) भा.न्या.सं., थाना-एकता, जनपद-आगरा के अधीन जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.05.2026 को घायलों में से एक द्वारा 15.05.2026 को शाम 05:00 बजे हुई घटना हेतु तीन नामजद तथा 8-10 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, जिसमें अभियुक्त/आवेदक शामिल नहीं था। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कॉलोनी की पार्किंग का विवाद था, जिसमें सह-अभियुक्त तथा दो घायल, सूचनादाता तथा उसका भाई धर्मेन्द्र उसी सोसायटी के निवासी थे, जबकि एक अन्य घायल सुभाष कहीं और से था। यह आरोप है कि पार्किंग विवाद के मुद्दे पर, पक्षकारों के बीच तकरार हुई और परिणामस्वरूप लाठी तथा कुल्हाड़ी से हमला किया गया। पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में अभियुक्त/आवेदक को नामजद किया गया है, जबकि उसी सोसायटी के निवासी अन्य अभियुक्त महावीर तथा जवाहर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया क्योंकि सूचनादाता ने धारा 180 भा.न्या.सं.एस के अधीन अपने बयान में उनका नाम नहीं लिया। अभियुक्त/आवेदक सह-अभियुक्त का मित्र है और इसलिए बाद में उसे फंसाया गया। आगे यह भी कथन है कि तीन व्यक्तियों को चोटें आई हैं। घायल/सूचनादाता को साधारण चोटें आई थीं तथा धर्मेन्द्र, घायल/सूचनादाता के भाई को भी साधारण चोटें आई थीं। घायलों में से एक सुभाष को चार चोटें आई हैं, जिनमें से एक गंभीर प्रकृति की है, जो कि खोपड़ी की हड्डी का बहुविध फ्रैक्चर है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 13 व्यक्तियों को हमले की भूमिका सौंपी गई है, उन हमलों का कर्ता कौन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है यह स्पष्ट नहीं है। अभियुक्त-आवेदक सह-अभियुक्त दुष्यंत से बेहतर स्थिति में है, जिसे इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध चार मामलों का आपराधिक इतिहास है और सभी मामलों में, वह दोषमुक्त हो चुका है। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त आवेदक 10.06.2026 से जेल में बंद है। वह जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करता है।

4. राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, परंतु उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।
5. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रतिस्पर्धी कथनों को ध्यान में रखा है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
6. यह ध्यान में रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त/आवेदक का नाम नहीं है, जो सह-अभियुक्त का मित्र है, तथा चोटों की प्रकृति एवं संख्या और प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को छोड़कर आरोपित 14 अभियुक्तों की संगत संख्या को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
7. अतः, मामले के गुण-दोष को स्पर्श किए बिना, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
8. अभियुक्त/आवेदक को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, उच्चतम न्यायालय के **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 SCC 674]** तथा **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन रे [(2024) 10 SCC 685]** के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा किया जाए।
9. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

19 अगस्त, 2026

शिवांगी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”